अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का0आ0सं0–31 / उड़नदस्ता–21 / 2017 पटना, दिनांक :– 13/3/19

कार्यालय आदेश – 74

पथ प्रमंडल, अररिया अन्तर्गत प्रवाहा–मिरदौल पथ (SH-92) में कराये गये Long term output and performance based Road maintenance work for the roads under CMBD कार्यों की उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा जाँचोपरांत समर्पित प्रारंभिक / अंतिम जाँच प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोपरांत उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के अनुरूप आलोच्य पथ के कि0मी0 06 में कराये गये WMM कार्य में प्रयुक्त Aggregae का LL, PL तथा FI+EI का मान प्रावधान / विचलन के प्रतिकूल पाये जाने के कारण विभागीय पत्रांक–10384 (एस) अनु0 दिनांक–13.11.17 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री प्रभाष कुमार देव, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया के पत्रांक–कैम्प, अररिया / 03 दिनांक–29.12.17 को समर्पित उत्तर की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी।

2. दिनांक–27.07.18 को विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा श्री देव के स्पष्टीकरण पर विभागीय व्यवस्था के आलोक में कार्रवाई किये जाने की गयी अनुशंसा, जिसकी विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा में श्री देव द्वारा दिनांक–29.12.17 को समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–V शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार के नियम–14 के स्पष्टीकरण–3 के आलोक विभागीय कार्यालय आदेश सं0– 283 सहपठित ज्ञापांक– 8250 (E) दिनांक– 30.11.2018 द्वारा **"चेतावनी" का दंड संसूचित किया गया।**

उक्त दंड के विरूद्ध श्री देव के पत्रांक– कैंप अररिया / 04, दिनांक–01.03.2019 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त पुनर्विचार अभ्यावेदन की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विभागीय कार्यालय आदेश सं0– 283, दिनांक– 30.11.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग– V शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार के नियम– 14 के स्पष्टीकरण– 3'' के तहत पूर्व में निर्गत **"चेतावनी"** के दंडादेश को विलोपित कर **'' भविष्य के लिए सचेत ''** करने के रूप में पुनरीक्षित करते हुए मामले का निस्तार किया जाता है।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– **पटना, दिनांक :–**

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता,

दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना /अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग /अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–03), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री प्रभाष कुमार देव, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 2079 (ई) पटना, दिनांक :– 13/3/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

13/3/19

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

13/03/19